624
18/10/16

पत्रांक– /आयु0कर,उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2016–17/दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादून :दिनांकः 14 अक्टूबर, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या	–	05/2016–17
द्वारा	–	सर्वश्री आर0के0 प्रोडक्ट, बी–129, राजनगर, ज्वालापुर हरिद्वार। टिन नं0– 05010294053
उपस्थिति	–	श्री राजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक	–	14.10.2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री आर0के0 प्रोडक्ट, बी–129, राजनगर, ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्लास्टिक बोतल पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्लास्टिक से निर्मित जैरीकेन पैकिंग मैटीरियल (Article of Packing) है। जैरीकेन की भाँति प्लास्टिक बोतल भी तरल पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक्स, दवाईयों, शराब, कफसीरप, मिनरल वॉटर, एल्कोहॅल आधारित हौम्योपैथिक दवाईयों आदि के लिए पैकिंग मैटीरियल (Article of Packing) है। इस प्रकार ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा प्लास्टिक की बोतल को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(b) के क्रमांक–9 पर Article of Packing से सम्बन्धित प्रविष्टि से आच्छादित होना मानते हुए उक्त पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता होने का उल्लेख किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में अधिवक्ता फर्म श्री राजेन्द्र कुमार ने उपस्थित होकर प्लास्टिक की बोतल के सन्दर्भित प्रविष्टि से ही आच्छादित होने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जैरीकेन Article of Packing की प्रविष्टि से आच्छादित है। अतः प्लास्टिक की बोतल भी इसी प्रविष्टि से आच्छादित होगी। यह भी कहा गया कि प्लास्टिक की बोतल का निर्माण जैरीकेन की भाँति प्लास्टिक दाने से होता है तथा तरल पदार्थ की पैकिंग में प्लास्टिक बोतल का प्रयोग किया जाता है। उक्त आधारों पर प्लास्टिक बोतल के Article of Packing सम्बन्धी प्रविष्टि से आच्छादित होने का उल्लेख करते हुए उक्त पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता होने का तर्क रखा गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सुनवाई के समय दिये गये तर्कों एवं प्राप्त आख्या पर विचार किया गया। प्लास्टिक की बोतल के Article of Packing होने के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा प्रेषित आख्या तर्कसंगत है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माननीय वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड की पूर्ण पीठ, देहरादून द्वारा सर्वश्री आकाश ट्रेडिंग कं0, बरेली रोड, हल्द्वानी तथा सर्वश्री सागर ट्रेडिंग कं0, काशीपुर के

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned by CamScanner

मामलों में अपने निर्णय क्रमशः दिनांक 21.08.2009 तथा निर्णय दिनांक 27.01.2010 से काँच की खाली बोतलों को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(b) के क्रमांक–9 पर निहित Article of Packing की प्रविष्टि से आच्छादित मानते हुए उक्त पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता होना निर्धारित किया गया है। चूँकि प्लाटिक बोतल का उपयोग काँच की बोतल के अनुरूप ही किया जाता है एवं इसे प्रश्नगत प्रविष्टि से exclude नहीं किया गया है, अतः प्लास्टिक बोतल का भी उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(b) के क्रमांक–9 पर निहित Article of Packing की प्रविष्टि से आच्छादित होना प्रकाश में आता है। इस प्रकार प्लास्टिक बोतल पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता होना अवधारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

3894

पृ0प0सं0 / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/कशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–4, हरिद्वार।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner